

अतारकित प्रश्न संख्या 1148 के उत्तर में स्थान आदेश जारी किया जाना स्वीकार किया गया था;

(ग) यदि हाँ, तो एक ही मंत्रालय द्वारा दो प्रश्नों के परस्पर विरोधी उत्तर दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के कर्मचारियों के मामले में गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) की स्थान आदेश जारी करने या प्यास्पिति बनाये रखने का आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। सहायक श्रम आयुक्त (के०) द्वारा दिनांक 4-6-1988 को जारी पत्र सलाह देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। अतः दिनांक 2-8-1991 के राज्यसभा अतारकित प्रश्न सं० 1803 का दिया गया उत्तर तथ्यतः सही था और यह दिनांक 6-5-1988 के राज्यसभा अतारकित प्रश्न सं० 1148 के दिये गये उत्तर के अनुरूप था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Pension Scheme for Employees

2460. SHRI DEBABRATA BISWAS : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether Government have since finalised the pension scheme for the employees; and

(b) if so, what are the details of the steps taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) No, Sir.

(b) A Bill to amend the EPF & MP Act, 1952 for empowering the Central Govt. to frame a Pension Scheme has been introduced in Rajya Sabha on 29-3-1993.

Financial Assistance to Labour Institutes in Maharashtra

2461. SHRI ADIK GOVINDRAO WAMANRAO : Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) the total amount of financial assistance given by Government to the various labour institutes and centres in Maharashtra during the last three years alongwith their names;

(b) whether any review of such grants has been made;

(c) whether Government propose to alter the aid formula; and

(d) whether the institutes are likely to suffer because of this ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA) : (a) The grant-in-aid is provided the Labour Institutes and centres which are under the administrative control of the Central Government. In so far as Maharashtra is concerned, the grant-in-aid is issued to Central Workers Education (CBWE) with Headquarters at Nagpur in Maharashtra and Centres spread all over the country. The grants-in-aid released to CBWE during the last three years are given below :—

1990—91	Rs. 5,70,00,000
1991—92	Rs. 6,19,11,590
1992—93	Rs. 6,79,13,800

(b) to (d) The functioning of CBWE is reviewed periodically. A report on the functioning of the organisation, alongwith the annual report is also laid on the Table of both Houses of Parliament annually. A present, there is no proposal to alter the formula for release of grant-in-aid.

कृषि मजदूरों का शोषण

2462. श्री अजीत जोगी :

चौधरी हरि सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-संगठित मजदूरों, विशेष रूप से कृषि मजदूरों का शोषण हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ज़ोरा क्या है;

(ग) श्रम संगठनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं;

(घ) "न्यूनतम मजदूरी" और बंधुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त करने सम्बन्धी अधिनियमों का कार्यान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) प्रत्येक राज्य में न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी ज़ोरा क्या है और किन-किन राज्यों से न्यूनतम मजदूरी खदा न करने के सम्बन्ध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?